न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 04/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/33

अपीलाण्ट्स :-	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :-
1. खीमाराम पुत्र स्व. हनुमानराम, 2. गणेशराम पुत्र स्व. हनुमानराम, जातिगण सिरवी निवासीगण ग्राम गुलाबपुरा, तहसील व जिला पाली		तहसीलदार पाली, तहसील पाली, जिला पाली राजस्थान।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र लबाना

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 20.05.2024

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध मौजा ग्राम गिरादड़ा जागीर हाल गुलाबपुरा तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 08.09.1976 तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी व सरकारी पैरोकार वक्त बहस उपस्थित हुये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो व दौराने बहस कथन किया कि मौजा ग्राम गिरादड़ा जागीर हाल गुलाबपुरा तहसील पाली के खसरा संख्या 276 रकबा 63 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि के खातेदार राजस्व रेकर्ड के अनुसार पूरणराज पुत्र जोरावरमल अबाणी एवं लीला देवी पत्नी पूरणराज थे। उक्त दोनो खातेदारों ने उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि रकबा 63 बीघा 14 बिस्वा में से 21 बीघा कृषि भूमि का आम मुख्तियार महीपतचन्द पुत्र चिमनचंद भण्डारी साकिन जोधपुर हाल गिरादड़ा जागीर तहसील पाली के जरिये अपीलाण्ट के पिता श्री हनुमान पुत्र चिमना कौम सिरवी साकिन गिरादड़ा की ढ़ाणी तहसील पाली को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 26.08.1975 बेचाण की थी और अन्य शेष भूमि थाना पुत्र पूनम व आईदान पुत्र पूनम कौम सिरवी को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख बेचाण की थी। पटवारी हलका ने उक्त बेचाणशुदा भूमि के पंजीबद्ध अलग-अलग विक्रय विलेखों के आधार पर जैर नामान्तरकरण संयुक्त रूप से भरा जिसमें अन्य खरीददार थाना पुत्र पुनम व आईदान पुत्र पूनम के साथ-साथ अपीलार्थीगण के पिता हनुमान पुत्र चिमना की खरीदशुदा भूमि का गलत वल्दियत अनुसार हनुमान पुत्र पूनम सिरवी साकिन ढ़ाणी गिरादड़ा खातेदार के नाम से इन्द्राज कर दिया। अतः जैर अपील नामान्तरकरण आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण नियमानुसार व अपीलाण्ट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर ही स्वीकृत किया गया है। अतः अपील–अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में नामान्तरकण संख्या 138 निर्णय दिनांक 08.09.1976 में पुरणराज पुत्र जोरावरमल अबाणी से विक्रय में क्रेता का नाम हनुमान पुत्र पूनम सीरवी रकबा 21 बीघा अंकित किया गया है। इस नामान्तरकरण में आराजी संख्या 276 के अन्य क्रेता की जाति सीरवी अंकित है। खसरा गिरदावरी में आराजी संख्या 276 में क्रेता का नाम हनुमान पुत्र पूनम ही लिखा हुआ है। जमाबन्दी संवंत् 2076 से 2079 में भी खातेदार का नाम सही है परन्तु जाति सीरवी लिखा हुआ है। पेशसुदा पंजीबद्ध विक्रय विलेख पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि में दिनांक 26.08.1975 में क्रेता का नाम हनुमान पुत्र चिमना सीरवी अंकित है जबकि विवादित नामान्तरकरण में हनुमान पुत्र पूनम कर दिया है। स्पष्टतया विक्रय पत्र हनुमान पुत्र चिमना के नाम है तो नामान्तरकरण में हनुमान पुत्र पूनम सीरवी अंकित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। संभवतया यह समान नामान्तरकरण के अन्य क्रेता थाना एवं आईदान के पिता का नाम पूनम होने के कारण हनुमान के पिता का नाम भी पूनम अंकित कर दिया जाना संभव हो सकता है।

अतः जैर नामान्तरकरण विक्रय पत्र के अनुरूप नहीं होने से प्रथम–दृष्ट्या तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 08.09.1976 का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से उक्त नामान्तरकरण सिर्फ हनुमान पुत्र चिमना की हद तक अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पंजीबद्ध विक्रय–पत्र के आलोक में सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिवत जांच की जाकर अज सरे नव निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.07.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली